न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— सुरेश कुमार बलाई,आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 18/2025

तारीख दायर :—07.05.2025

तारीख फैसला :— 21.11.2025

1. श्रीमती शंकुलता पत्नी भंवरलाल मीणा निवासी आमलीखेडा, कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला—सलूम्बर

प्रार्थी

बनाम

1. श्री उदयलाल पिता भगवाना मीणा निवासी आमलीखेडा, कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
2. श्री मांगीलाल पिता भगवाना मीणा निवासी आमलीखेडा, कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
3. श्री रामलाल पिता भगवाना मीणा निवासी आमलीखेडा, कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
4. श्री प्रेमचन्द पिता बाबरू मीणा निवासी आमलीखेडा, कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
5. श्री डालचन्द पिता बाबरू मीणा निवासी आमलीखेडा, कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
6. श्री दलीचन्द पिता बाबरू मीणा निवासी आमलीखेडा, कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
7. श्रीमान भूमिधारी जरिये तहसीलदार तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

..................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट.

उपस्थिति — वादी की ओर से — अधिवक्ता श्री पुष्करलाल मीणा

प्रतिवादी की ओर से — सहमती

:—निर्णय—:

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 476/220 रकबा 3.3984 हैक्टेयर, भूमि ग्राम आमलीखेडा, पटवार हल्का कालीभीत भू.अ. निरीक्षक क्षैत्र कालीभीत, तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर में स्थित है। जो प्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की है, जिस पर प्रार्थीगण ने अपनी सीमा जानकारी विपक्षीगण की मौजुदगी में करा रखी है, फिर भी विपक्षीगण ,प्रार्थीगण के सीमा के बारे में आये दिन झगडा करते रहते है व प्रार्थीगण व विपक्षीगण के खातेदारी सीमा आपस में मिली हुई है,इसलिये विपक्षीगण जबरदस्ती प्रार्थीगण की सीमाओं में घुसकर

अतिक्रमण करने पर उतारू है, इसलिये उक्त आराजी भूमि पर विपक्षीगण व प्रार्थीगण के मध्य पत्थरगढी कराई जाकर डिमारकेशन कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। विपक्षीगण लडाई झगडा करने पर आमादा है व प्रार्थीगण के उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है। इसलिये पत्थरगढी कराया जाना नितान्त आवश्यक है। विपक्षीगण लडाकु व झगडालु होकर प्रार्थीगण की जमीन को हडपने के लिये आये दिन झगडा करते रहते है व प्रार्थीगण की फसल व घास का नुकसान करते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम आमलीखेडा ,ग्राम पंचायत कालीभीत पटवार हल्का कालीभीत की आराजी संख्या 476/220 रकबा 3.3984 हैक्टेयर, भूमि की पत्थरगढी माननीय तहसीलदार साहब लसाडिया के मार्फत कराई जाकर नक्शे में उसका डिमारकेशन कराये जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों एवं तहसीलदार लसाडिया को जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। विपक्षीगण न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पत्थरगढी किये जाने की सहमती जताई सहमती स्वरूप पत्रावली में हस्ताक्षर किये प्रकरण में तहसीलदार का जवाब तलब किया गया तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि की पत्थरगढी की जाती है तों कोई आपत्ति नही है। उक्त वादग्रस्त आराजी 476/220 रकबा 3.3984 हैक्टेयर, भूमि की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये गये। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की की बहस सुनी गई । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में वही कथन कहे है जो अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन , पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार लसाडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण का कथन है कि विपक्षीगण, प्रार्थीगण की जमीन को हडपने की नियत से प्रार्थी की उक्त आराजी में घुसने की कोशिश करते है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार है। विपक्षीगण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र सहमत है उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है राजस्व ग्राम आमलीखेडा पटवार क्षेत्र कालीभीत भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र कालीभीत की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता संख्या नया 98 पुराना 60 के आराजी संख्या 476/220 रकबा 3.3984 हैक्टेयर, भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होने पर ही पत्थरगढी की कार्यवाही की जावे मौके स्थल पर पत्थरगढी हेतु एक ट्रोली पत्थर की व्यवस्था प्रार्थीगणों की रहेगी भूमि की दोनो पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/– रूपये प्रार्थी पक्ष अदा करेंगा। पालनार्थ तहसीलदार लसाडिया को लिखा जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों ।

निर्णय आज दिनांक ...21.11.2025...को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलूम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)